वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(कोल इंडिया लि॰ की अनुषंगी कंपनी)
एक मिनीरत्न कंपनी
भारत सरकार का उपक्रम

सुरक्षा विभाग
"सक्षम, सर्वोत्तम, सर्वज्ञ"

Regd Office: Coal Estate, Civil Lines, Nagpur- 440001
E-Mail ID: chiefofsecurity.wcl@coalindia.in
CIN: U10100MH1975GOI018626

संदर्भ क्रमांक:- वेकोलि/सीएसओ/2025 / 649 दिनांक:-24/06/2025

Office Order / कार्यालय आदेश – मानक संचालन प्रक्रिया (SoP)

---

1. उद्देश्य:

यह SOP इस बात को सुनिश्चित करता है कि रिसेप्शन हॉल, वेकोलि मुख्यालय, नागपूर में आने वाले सभी व्यक्तियों (आगंतुकों) तथा कर्मचारियों के सामान की सुरक्षा जांचप्रभावी, सुव्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से की जाए। इसका उद्देश्य संदिग्ध वस्तुओं की पहचान कर हमारी कंपनी की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

---

2. उपकरण:

- **X-ray बैगेज स्कैनर मशीन:** यह मशीन बैग के अंदर की वस्तुओं की X-ray द्वारा जांच करती है।
- **कंट्रोल पैनल/कंप्यूटर:** स्कैनर को नियंत्रित करने और बैग के अंदर की छवि देखने के लिए।
- **मशीन संबंधित दस्तावेज :** मशीन संबंधित दस्तावेज इस संचालन प्रक्रिया के साथ सदैव बाहर संदर्भ/निर्देश /रेहसेंस हेतु उपलब्ध रहेगी ।

---

3. प्रक्रिया:

3.1 मशीन चालू करना:

- सबसे पहले मशीन के मुख्य पावर स्विच को ऑन करें।
- कंट्रोल पैनल पर लॉगिन करें और मशीन को स्टार्टअप मोड में लाएं।
- मशीन के सभी फंक्शन (जैसे कन्वेयर बेल्ट, एक्स-रे जनरेटर, स्क्रीन आदि) की जांच करें।
- यह सुनिश्चित करें कि कोई एरर मैसेज या चेतावनी न हो।
- ऑपरेटर को मशीन के सभी कंट्रोल और अलार्म सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए।

3.2 बैगेज स्कैन करना:

- आने वाले व्यक्ति से नम्रता से उनका बैग या सामान कनवेयर बेल्ट में रखने के लिए कहें।
- मशीन में बैग धीरे-धीरे मशीन के अंदर प्रवेश करने दें।
- कंट्रोल पैनल पर स्कैनिंग शुरू करें।

24/6/25

- स्क्रीन पर दिख रही छवि को ध्यान से जांचें, खासकर संदिग्ध वस्तुओं जैसे कि छिपे हुए उपकरण, ब्लेड, विस्फोटक सामग्री आदि पर ध्यान दें।
- यदि बैग में बड़ी वस्तुएं हैं, तो स्क्रीन पर इमेज को ज़ूम इन/आउट करते हुए ध्यानपूर्वक देखें।
- संदिग्ध वस्तु दिखने पर तुरंत समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार सेकंडरी चेक के लिए बैग रोक लें।

3.3 संदिग्ध वस्तु मिलने पर:

- स्कैन के दौरान यदि किसी वस्तु पर संदेह हो तो तुरंत रिसेप्शन हॉल के सिक्योरिटी प्रभारी को सूचित करें।
- संबंधित व्यक्ति को नम्रता से सूचित करें कि उनका सामान अतिरिक्त जांच के लिए रोका गया है।
- बैग को अलग किसी सुरक्षित जगह पर रखें।
- आवश्यकतानुसार मैनुअल जांच करें।
- अगर स्थिति गंभीर हो, तो कंपनी के सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार उचित कार्रवाई करें।

3.4 मशीन बंद करना:

- कार्य समाप्ति पर मशीन को कंट्रोल पैनल के माध्यम से सही प्रक्रिया से बंद करें।
- मशीन के पावर स्विच को बंद करें।
- कन्वेयर बेल्ट को बंद होने के उपरांत जांच करें |
- मशीन के आसपास का क्षेत्र साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखें।
- मशीन के संचालन और रखरखाव से संबंधित किसी समस्या का रिकॉर्ड बनाएं और संबंधित विभाग को सूचित करें।

---

4. सावधानियां:

- मशीन के भीतर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या अनधिकृत बदलाव न करें।
- किसी भी खराबी या मशीन में अजीब आवाज आने पर तुरंत तकनीकी टीम को सूचित करें।
- आगंतुकों के सामान को स्कैन करना अनिवार्य है, किसी भी व्यक्ति को बिना जांच के प्रवेश न दें।
- संदिग्ध वस्तु मिलने पर तत्काल सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें और बिना अनुमति बैग न खोलें।

---

5. जिम्मेदार व्यक्ति:

- **रिसेप्शन हॉल सिक्योरिटी स्टाफ:** X-ray बैगेज स्कैनर ऑपरेशन का मुख्य कार्यकर्ता, जो रोज़ाना मशीन चलाने, बैग स्कैन करने और संदिग्ध वस्तुओं की पहचान करने का जिम्मा रखता है।
- **सिक्योरिटी प्रभारी:** संदिग्ध वस्तुओं या आपातकालीन स्थिति में उचित निर्णय और कार्रवाई करता है।

24/6/25

- **तकनीकी टीम:** मशीन की नियमित जांच, रखरखाव और मरम्मत के लिए जिम्मेदार।
- **प्रबंधन:** SOP के पालन की निगरानी करता है और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता है।

---

6. अतिरिक्त निर्देश:

- ऑपरेटर को नियमित रूप से मशीन के उपयोग और सुरक्षा निर्देशों का प्रशिक्षण दिया जाए।
- सुरक्षा से संबंधित सभी घटनाओं का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए।
- मशीन के रखरखाव के लिए निर्धारित समय-समय पर सर्विसिंग कराएं।
- आपातकालीन स्थिति में (जैसे आग लगना, विस्फोटक संदिग्ध वस्तु) तुरंत इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू करें।
- मशीन तीन (03) वर्ष की वारंटी में है जो जून 2025 से प्रारंभ होती है
- यदि किसी उपकरण या व्यक्ति द्वारा उपरोक्त गतिविधि को सुचारु रूप से पूर्ण करने में कठिनाई उत्पन्न होती है अथवा किसी कर्मी/ आगंतुक द्वारा दिए गए निर्देश के पालन हेतु आपत्ति प्राप्त होती है तों तुरंत उसे हस्ताक्षरधारी को सूचित करें ।

विभागाध्यक्ष (सुरक्षा)/सीएसओ